बैठक दिनॉक–08.04.2026

मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांकः– 335 / मु0अ0(ज0सं0) / अनिर्म–1 / अनिख–3, दिनॉक 07, अप्रैल, 2026

विषय–मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No- 859 / 2022 (I.A. No. 445 / 2024, 632 / 2023, 769 / 2023) Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No- 512/2024 News Item titled "Irrigation deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक–17.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः–अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक– 690 / 26–27–सिं0–4–CN–1706107, दिनांक–07.04.2026

मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।
मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–एन0जी0टी0–345 / 81–7–2026–1687377, दिनांक–02.04.2026 के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No- 859 / 2022 (I.A. No. 445 / 2024, 632 / 2023, 769 / 2023) Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No- 512/2024 News Item titled "Irrigation deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक–17.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनॉक 08.04.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे, बापू भवन चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष संख्या–432 में एक बैठक हाईब्रिड मोड के माध्यम से आहूत की गयी है।

बैठक हेतु लिंक निम्नवत् हैः–

Webex URL Link: https://uppcb.webex.com/meet/gyanesh.gs

Meeting Number : 25146158649

अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वांछित सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Rau 7/4
(राकेश यादव)
मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)

पत्रांक एवं दिनॉक– यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2–अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(राकेश यादव)
मुख्य अभियन्ता(जल संसाधन)

Scanned with OKEN Scanner

वैठक दिनांक 08.04.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे

संख्या-690/26-27-सिं0-4-CN-1706107

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक 07-04-2026

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-859/2022(I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 एवं 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh and Ors. With O.A. No.512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं 17.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 7 के पत्र संख्या-एन०जी०टी०-345/81-7-2026-1687377, दिनांक 02.04.2026 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-859/2022(I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 एवं 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh and Ors. With O.A. No.512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं 17.02.2026 के अनुपालन के संबंध मे विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे, बापू भवन चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष संख्या-432 में एक वैठक हाईब्रिड मोड के माध्यम से आहूत की गयी है। वैठक हेतु लिंक निम्नवत है:-

Webex URL Link: https://uppcb.webex.com/meet/gyanesh.gs
Meeting Number : 25146158649

2- उक्त वैठक में मुख्यालय के अधिकारीगण के भौतिक रूप से तथा मुख्यालय के वाहर के अधिकारीगण के वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वांछित सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 02.04.2026 में की गयी अपेक्षा के क्रम में सुसंगत सूचनाओं सहित यथासमय प्रतिभाग करने तथा संगत सूचना वैठक से पूर्व शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by RAMESH CHANDRA
Date: 07-04-2026 13:40:52
(रमेश चन्द्र)
अनु सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, ओखला, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण
बैठक दिनांक 08.04.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे
संख्या- एन०जी०टी०- 345 /81-7-2026-1687377

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति / नगर विकास / सिंचाई एवं जल संसाधन / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

3- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर / ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, गौतमबुद्ध नगर।

5- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय / ग्रामीण), लखनऊ।

7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 02-04-2026

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-260/81-7-2026-1687377, दिनांक 20.03.2026 (छायाप्रति संलग्न), संख्या-मु०स०-46(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.12.2025 (छायाप्रति संलग्न), संख्या-एन०जी०टी०-84(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.01.2026 (छायाप्रति संलग्न), संख्या-एन०जी०टी०-145/81-7-2026-1687377, दिनांक 13.02.2026 (छायाप्रति संलग्न), संख्या-एन०जी०टी०-329/81-7-2026-1687377, दिनांक 30.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) एवं संख्या-एन०जी०टी०-329(1)/81-7-2026-1687377, दिनांक 30.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्रों के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण के पारित आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए वांछित समस्त सूचनायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित समस्त सूचनायें अद्यतन अप्राप्त है।

3- प्रकरण में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर से further information मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है।

4- उपरोक्त की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक

06/04/26

Scanned with OKEN Scanner

08.04.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे, बापू भवन चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष संख्या-432 में एक बैठक हाईब्रिड मोड के माध्यम से आहूत की गयी है। बैठक हेतु लिंक निम्नवत् है:-

Webex URL Link : https://uppcb.webex.com/meet/gyanesh.gs

Meeting Number: 25146158649

5- अतः कृपया उक्त बैठक में मुख्यालय के अधिकारीगण भौतिक रूप से तथा मुख्यालय के बाहर के अधिकारीगण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वांछित सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by CHIRAUNJI LAL
Date: 02-04-2026 18:21:13

भवदीय,
(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।

2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय / अनुरोध के साथ प्रेषित कि संबंधित विभागों से समन्वय कर सूचनायें प्राप्त करते हुए सूचनाओं को संकलित कर समेकित रूप से तथा बैठक के उपयोगार्थ पी.पी.टी. तैयार कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक हेतु दिनांक 08.04.2026 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से बैठक की समाप्ति तक बापू भवन, चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष संख्या-432 को आवंटित करने एवं सभाकक्ष की अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को बैठक के प्रयोजनार्थ सुचारु रूप से संचालित कराने का कष्ट करें।

4- व्यवस्थाधिकारी, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक के संबंध में सभाकक्ष संख्या-432 की समस्त व्यवस्थाओं को सुचारु कराये जाने के संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5- प्रवेश पत्र कार्यालय, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण को प्रवेश पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

6- गार्ड फाइल।

Digitally signed by SHAILENDRA KUMAR
Date: 02-04-2026 18:23:44

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण

अग्रिम सुनवाई तिथि 29.04.2026

संख्या- एन०जी०टी०-३०९(1) /81-7-2026-1687377

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- **अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,**
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति / नगर विकास / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।

2- **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष,**
उ०प्र०, लखनऊ।

3- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
यूपीसीडा, कानपुर।

4- **प्रबन्ध निदेशक,**
उ०प्र० जल निगम (नगरीय / ग्रामीण),
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-260/81-7-2026-1687377, दिनांक 20.03.2026 **(छायाप्रति संलग्न)**, संख्या-मु०स०-46(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.12.2025 **(छायाप्रति संलग्न)**, संख्या-एन०जी०टी०-84(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.01.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं संख्या-एन०जी०टी०-145/81-7-2026-1687377, दिनांक 13.02.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2- उक्त पत्रों के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण के पारित आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए वांछित समस्त सूचनायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित समस्त सूचनायें अद्यतन अप्राप्त है।

3- प्रकरण में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर से further information मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है।

4- अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण के पारित आदेशों के अनुपालन में वांछित समस्त सूचनायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 29.04.2026 को निर्धारित है, जिसके पूर्व मुख्य सचिव, उ०प्र० का प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समेकित रूप से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण
अग्रिम सुनवाई तिथि 29.04.2026
संख्या- एन०जी०टी०-260 /81-7-2026-1687377

प्रेषक,

विनय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति /
नगर विकास / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० शासन।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, कानपुर।

4- प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय / ग्रामीण),
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 20 मार्च, 2026

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 एवं दिनांक 17.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-मु०स०-46(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.12.2025 (छायाप्रति संलग्न), संख्या-एन०जी०टी०-84(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) एवं संख्या-एन०जी०टी०-145/81-7-2026-1687377, दिनांक 13.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्रों के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है। वांछित कृत कार्यवाही की सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

3- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में आबद्ध स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 12.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया है:-

Scanned with OKEN Scanner

"Kindly find below the pointers in relation to the queries raised by the Hon'ble Tribunal, in addition to the aforesaid directions of the Hon'ble Tribunal, for which necessary instructions and information are required:

1. STATUS OF UNAUTHORISED COLONIES?

2. DISCHARGE OF UNAUTHORISED COLONIES?

3. AFTER SETTING UP OF STP AND SEWAGE NETWORK, WILL THERE STILL BE UNTREATED DISCHaRGE IN RIVER HINDON?

4. Plan for treatment of 100% of the sewage generated

5. NONE OF THE STPs ARE MEETING THE NORMS, WHY?

6.What is the future action plan for the Gap in treatment of sewage and industrial effluents?

7. Analysis report of past 3 months of each STP

8. Interim Plan for treatment of sewage till the STPs are being set up?

Kindly take note of the aforementioned points and the directions of the Hon'ble Tribunal, and provide complete and necessary information to the undersigned Counsel at the earliest."

4- अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थायी अधिवक्ता के उक्त संदर्भित पत्र में की अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन में वांछित समस्त सूचनायें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 29.04.2026 को निर्धारित है।**

प्रकरण में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर से further information मा० अधिकरण में दाखिल की जानी है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
VINAY KUMAR SINGH
Date: 20-03-2026
16:11:35

भवदीय,
(विनय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समेकित रूप से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SHAILENDRA KUMAR
Date: 20-03-2026
16:35:58

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण

संख्या- मु०स०-46(1) /81-7-2025-1687377

प्रेषक,

मनीष मित्तल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति/ नगर विकास / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० शासन।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।

4- प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम
(नगरीय / ग्रामीण), लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2025

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

"......................................

Scanned with OKEN Scanner

4. A perusal of the above affidavit reveals that in the first table concerning sewage generation, gap and proposed action, though, in some of the districts such as Muzaffarnagar, the gap exists but no proposed STP or plan to bridge the gap has been disclosed. Same is position in respect of Gautam Budh Nagar, Saharanpur and Shamli. Chart further discloses that there is a long timeline for completing the STPs for example for Saharanpur District, timeline is March 2027 and nothing has been disclosed for district Baghpat and Meerut. With respect to Ghaziabad and Gautam Budh Nagar, there is no disclosure on affirm timeline for bridging the gap. We also find that in the second chart given in paragraph no.8, details of existing household connection and proposed household connection have been disclosed but the status of unauthorized colonies and discharge of untreated sewage therefrom has not been disclosed. There is no mention on laying sewerage connectivity to the proposed STPs at Saharanpur and Shamli. Setting up of STPs and sewage conveyance system should be undertaken simultaneous for utilization of designed capacities of STPs. It also needs to be clarified if after creation of sewage network any untreated sewage will be discharged in the storm water drain. In respect of some of the ULB like Ghaziabad even after setting up of 68 MLD STP as against the gap of99 MLD, the entire gap will not be bridged and untreated sewage will still remain, therefore, a plan is required to be disclosed under which there is 100% treatment of the sewage generated within the municipalities as any untreated sewage may find its way to river Hindon.

....

6. We further find that as per disclosure made in annexure3 (page 1958), out of 20 STPs monitored, 56 MLD STP at S.B.R. Morty, Ghaziabad are not meeting standards, and effluents are being discharged into river Hindon.

7. Water Quality of rivers disclosed in annexure-5 for Krishni, Kali west and Hindon indicates that these rivers have no dissolved oxygen, high BOD and fecal coliform and these rivers are not fit even for survival of aquatic life. We direct the CPCB and UPPCB to disclose joint performance of 20 STPs and water quality of river and file the status report.

8. Learned Counsel appearing for State of UP submits that above aspects will be looked into and fresh affidavit of Chief Secretary, State of UP will be filed within six weeks.

9. Learned Counsel for the applicant also seeks four weeks' time to file objections to the affidavit of Chief Secretary, UP dated 10.09.2025.

10. Counsel for the applicant referring to paragraph no.4 of the order of the Tribunal dated 06.05.2024 has submitted that erring officers were required to be prosecuted but their status has not been disclosed.

11. Responding to it, Learned Counsel appearing for State of UP has referred to paragraph no. 3 of the compliance report filed by UPPCB dated 03.05.2024 and has submitted that steps have already been taken to prosecute. He has submitted that in the next report present status of the prosecution will be also be disclosed.

12. List on 17.02.2026."

मा० अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 09.12.2025 के क्रम में नियत समयावधि में

Scanned with OKEN Scanner

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-462/पी.एस.एम. एस./एस.ओ./2025, दिनांक 16.12.2025 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17.02.2026 को निर्धारित है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
MANEESH MITTAL
Date: 26-12-2025
18:50:31

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समेकित रूप से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

अनुस्मारक-1

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण

संख्या- एन०जी०टी०-84(1)/81-7-2025-1687377

प्रेषक,

विनय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास / नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति / नगर विकास / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० शासन।

2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा, कानपुर।

4- प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय / ग्रामीण),
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 — लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2026

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- मु०स०-46(1)/81-7-2025-1687377, दिनांक 29.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं

Scanned with OKEN Scanner

जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है। वांछित कृत कार्यवाही की सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

2- अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराने का कष्ट करें। **उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17.02.2026 को निर्धारित है।**

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
VINAY KUMAR SINGH
Date: 29-01-2026
12:19:35
(विनय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर समेकित रूप से शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
Digitally signed by
SHAILENDRA KUMAR
Date: 29-01-2026
13:15:42
(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण / आज ही
संख्या- एन०जी०टी०- 145 /81-7-2026-1687377

प्रेषक,

मनीष मित्तल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 13-02-2026

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है :-

".......................................

4. A perusal of the above affidavit reveals that in the first table concerning sewage generation, gap and proposed action, though, in some of the districts such as Muzaffarnagar, the gap exists but no proposed STP or plan to bridge the gap has been disclosed. Same is position in respect of Gautam Budh Nagar, Saharanpur and Shamli. Chart further discloses that there is a long timeline for completing the STPs for example for Saharanpur District, timeline is March 2027 and nothing has been disclosed for district Baghpat and Meerut. With respect to Ghaziabad and Gautam Budh Nagar, there is no disclosure on affirm timeline for bridging the gap. ***<u>We also find that in the second chart given in paragraph no.8, details of existing household connection and proposed household connection have been disclosed but the status of unauthorized colonies and discharge of untreated sewage therefrom has not been disclosed.</u>*** *There is no mention on laying sewerage connectivity to the proposed STPs at Saharanpur and Shamli. Setting up of STPs and sewage conveyance system should be undertaken simultaneous for utilization of designed capacities of STPs. It also needs to be clarified if after creation of sewage network any untreated sewage will be discharged in the storm water drain. In respect of some of the ULB like Ghaziabad even after setting up of 68 MLD STP as against the gap of 99 MLD, the entire gap will not be bridged and untreated sewage will still remain, therefore, a plan is required to be disclosed under which there is 100% treatment of the sewage generated*

Scanned with OKEN Scanner

within the municipalities as any untreated sewage may find its way to river Hindon.

....

8. Learned Counsel appearing for State of UP submits that above aspects will be looked into and fresh affidavit of Chief Secretary, State of UP will be filed within six weeks.

9. Learned Counsel for the applicant also seeks four weeks' time to file objections to the affidavit of Chief Secretary, UP dated 10.09.2025.

10. Counsel for the applicant referring to paragraph no4 of the order of the Tribunal dated 06.05.2024 has submitted that erring officers were required to be prosecuted but their status has not been disclosed.

11. Responding to it, Learned Counsel appearing for State of UP has referred to paragraph no. 3 of the compliance report filed by UPPCB dated 03.05.2024 and has submitted that steps have already been taken to prosecute. He has submitted that in the next report present status of the prosecution will be also be disclosed.

12. List on 17.02.2026."

मा० अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 09.12.2025 के क्रम में नियत समयावधि में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-462/पी.एस.एम.एस. /एस.ओ./2025, दिनांक 16.12.2025 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों की स्थिति तथा वहाँ से बिना शोधन (उपचार) के छोड़े जा रहे सीवेज के निर्वहन की स्थिति का विवरण, प्रत्येक दशा में आज ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17.02.2026 को निर्धारित है। अतः व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
MANEESH MITTAL
Date: 13-02-2026
16:41:01

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3- श्री भंवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली।

Digitally signed by
SHAILENDRA KUMAR
Date: 13-02-2026
16:54:47

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

मा० एन०जी०टी० प्रकरण / महत्वपूर्ण
अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.04.2026
संख्या- एन.जी.टी.-329 /81-7-2026-1687377

प्रेषक,

मनीष मित्तल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2026**

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Original Application No. 859/2022 (IA No 445/2024, IA No 632/2023, IA No 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. WITH Original Application No. 512/2024 News Item Titled "Irrigation Dept Files Case Against Noida Villagers for Dumping Waste in Hindon" Appearing in the Hindustan Times Dated 12.03.2024 Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. में पारित मा० अधिकरण के आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एन.जी.टी.-153/81-7-2026-1687377, दिनांक 16.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ करने का कष्ट करें। उक्त कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु डासना ड्रेन में निस्तारित होने वाले अशोधित उत्प्रवाह/सीवेज के समुचित शोधन हेतु विस्तृत एक्शन प्लान / रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से आपकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

उक्त गठित समिति को डासना ड्रेन में निस्तारित होने वाले अशोधित उत्प्रवाह / सीवेज के समुचित शुद्धिकरण किये जाने के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना 07 दिवस की समय-सीमा में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में वांछित विस्तृत कार्ययोजना अद्यतन अप्राप्त है।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2- अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.02.2026 द्वारा डासना ड्रेन में निस्तारित होने वाले अशोधित उत्प्रवाह / सीवेज के समुचित शोधन हेतु विस्तृत एक्शन प्लान / रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से आपकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को 02 कार्यदिवस में प्रत्येक दशा में अवगत कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 29.04.2026 को निर्धारित है, जिसके पूर्व मुख्य सचिव, उ०प्र० का प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि / सदस्य सयोजक।

2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या-एन.जी.टी.- 153 /81-7-2026-1687377

लखनऊ: दिनांक: 16-02-2026

कार्यालय ज्ञाप

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos. 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. No. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की ओर से दाखिल शपथ-पत्र दिनांक 30.10.2024 पर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 09.12.2025 में उल्लिखित है कि शपथपत्र में कतिपय गंभीर कमियां है, जिसमें कई जिलों में सीवेज गैप कम करने हेतु न तो स्पष्ट योजना है और न ही निश्चित समय-सीमा, जिससे बिना उपचारित सीवेज के हिंडन नदी में प्रवाहित होने की आशंका है, अनधिकृत कॉलोनियों, सीवर नेटवर्क और स्टॉर्म वाटर ड्रेनों से प्रदूषण की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है। कुछ एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं हैं और नदियों की जल गुणवत्ता अत्यंत खराब पाई गई है। मा० अधिकरण द्वारा राज्य को छह सप्ताह में नवीन शपथपत्र दाखिल करने के साथ प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 17.02.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

2- इस संबंध में वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-ड्रेन, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के पत्र संख्या-प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-ड्रेन/2026/202, दिनांक 10.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र संख्या-प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-ड्रेन/2026/204, दिनांक 13.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा डासना ड्रेन के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध न कराते हुए यह अवगत कराया गया है कि डासना ड्रेन लगभग 25 किमी लंबा प्राकृतिक नाला है, जिसमें 8 किमी भाग ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है और इसमें अधिकांश अशोधित जल गाजियाबाद व हापुड़ से आता है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की बहुमंजिला हाउसिंग सोसाइटियों में एसटीपी स्थापित हैं, जिनसे शोधित जल का पुनः उपयोग किया जाता है तथा शेष जल नाले में छोड़ा जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 45 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर ड्रेनों का डायवर्जन किया जाएगा। साथ ही गौर सिटी ड्रेन के संबंध में भी कार्ययोजना स्पष्ट नहीं की गई है।

3- मा० अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु डासना ड्रेन में निस्तारित किये जाने वाले विभिन्न जल प्रदूषणकारी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार किया जाना आवश्यक है। डासना ड्रेन जनपद-गाज़ियाबाद एवं हापुड़ से होते हुए ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में हिण्डन नदी में मिलती है। अतः डासना ड्रेन में निस्तारित होने वाले अशोधित उत्प्रवाह/सीवेज के समुचित शोधन हेतु विस्तृत एक्शन प्लान / रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1.	मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	- अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य संयोजक
3.	जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद	- सदस्य
4.	जिलाधिकारी, हापुड़	- सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	- सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

7.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़	- सदस्य

4- अतः उपरोक्तानुसार गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि इसला ड्रेन में निस्तारित होने वाले अशोधित उत्प्रवाह / सीवेज के समुचित शुद्धिकरण किये जाने के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना 07 दिवस की समय-सीमा में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन (Email-envsection7@gmail.com) एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 16-02-2026
11:14:57

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा नामित प्रतिनिधि।
3. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद।
4. जिलाधिकारी, हापुड़।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।
7. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SHAILENDRA KUMAR
Date: 16-02-2026
11:51:22

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट न0–1 सैक्टर नोलेज पार्क–4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला–गौतमबुद्व नगर (उत्तर प्रदेश)

दिनांक /10/02/2026

पत्रांक:–प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–ड्रेन/2026/202

सेवा में,

श्री विनय कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida Villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वयंकीय पत्र संख्या एन0जी0टी0 84(1)/81–7–2025–1687377 दिनांक 29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0 प्र0 शासन (Email:- envsection7@gmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ (Email:- ms@uppcb.in) को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण से सम्बन्धित वांछित अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर पत्र के साथ शुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

(मनोज सचान)
वरिष्ठ प्रबन्धक ड्रेन

प्रतिलिपिः

- स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के./एल/पी) महोदय/महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
- विशेष कार्याधिकारी (ए.पी.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक–परियोजना महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सम्बन्धित पत्रावली।

वरिष्ठ प्रबन्धक ड्रेन

Scanned with OKEN Scanner

Sr. No.	District/ Town (1)	Sewage and Sullage flowing in open drains (Storm water drains / concretised drains / unlined/ katcha drains) (No. of drains) (2)	Flow in each drain (MLD) (3)	Quality / Characteristics of effluent (4)	Quantity of industrial effluent discharged in drain (MLD) (5)	Final point of discharge of drain (6)	Whether storm water drain Is diverted to STP? (7)	Time bound action plan to prevent sewage discharge into drain (8)
1	Gr. Noida	Hawaliya Drain	135	BOD- 68 mg/l COD- 194 mg/l TSS- 155 mg/l TC-2200000 MPN/ 100ml FC- 3400000 MPN/100ml	5.10	Hindon	No	उक्त नाले पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा Phyto-remediation के माध्यम से नाले के जल को शोधित करने हेतु कार्य की कई बार ई–निविदा आमन्त्रित की गयी थी, परन्तु किसी भी निविदा कार द्वारा नही किया गया। हवालिया नाले की सफाई का कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त हवालिया नाले पर कोट स्केप के पास जल गुणवत्ता हेतु In-situ Constructed Wetland का आगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। यह भी अवगत कराना है कि हवालिया नाले में अधिकतम उत्प्रवाह यू.पी.एस.आई.डी.सी. क्षेत्र से आता है। उक्त क्षेत्र से उत्सर्जित दूषित जल को शोधन उपरान्त ही शोधित जल के मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत जल ही हवालिया नाले में प्रवाहित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू.पी.सी.डा.) को पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–ड्रेन/2024/79 दिनांक 18.06.2024 एवं पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–सीवर/2026 /5355 दिनांक 03.02.2026 को प्रेषित किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में हवालिया नाले के Design, Retrofitting, Cleaning,
2		Kot escape Drain	1.5	BOD- 80 mg/l COD- 348 mg/l TSS- 184 mg/l TC-46000000 MPN/100ml FC- 46000000 MPN/100ml		Hindon	No	

								Rejuvenation, On-Drain Wastewater Treatment and Landscaping का कार्य करने हेतु संस्थाकार के चयन की प्रक्रिया हेतु सूचना संख्या प्रोजेक्ट / वर्क सर्किल–सीवर /2026/ 5393 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से EXPRESSION OF INTEREST (EOI) आमन्त्रित की जा चुकी है।
3		Dasna Drain near Yusufpur Village	100	BOD- 67 mg/l COD- 194 mg/l TSS- 184 mg/l TC-3200000 MPN/100ml FC-3800000 MPN/100ml	1.50	Hindon	No	अवगत कराना है कि गौर सिटी क्षेत्र में अधिकांश बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग निर्मित है, जिनमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन.ओ.सी. प्राप्त कर एस०टी०पी० स्थापित किये गये है। जिसमें बहुमंजिला ईमारतों से उत्सर्जित सीवेज का शोधन किया जाता है
4		Gaur City Drain				Hindon	No	तथा शोधित जल का रियूज फ्लशिंग तथा हार्टिकल्चर कार्यों में किया जाता है। शेष शोधित जल को नाले में प्रवाहित किया जाता है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा सीवेज का शोधन मानकों के अनुरूप ना करने पर समय समय पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुरूप अर्थदण्डारोपित करने की कार्यवाही की जाती है। अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत डासना नाला सैक्टर–4 के समीप हिण्डन नदी में गिरता है। उक्त नाले का आर०ओ०, यू०पी०पी०सी०बी०, वरिष्ठ प्रबन्धक सीवर एवं वरिष्ठ प्रबन्धक ड्रेन के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार डासना नाला हापुड तथा गाजियाबाद के औद्योगिक तथा आवासीय क्षेत्रों से प्रवाहित होकर कासिंग रिपब्लिक होते हुए सैक्टर–4 के समीप पक्का निर्मित है, जोकि हिण्डन नदी में गिरता है उक्त नाले में 95 प्रतिशत अशुद्धीकृत जल

							गाजियाबाद तथा हापुड परिक्षेत्र के औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से प्रवाहित हो रहा है उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र संख्या प्रोजेक्ट वर्क सर्किल–ड्रेन / 2024 / 77 दिनांक 18.06.2024 व प्रोजेक्ट / वर्क सर्किल–सीवर / 2026 / 5356 दिनांक 03.02.2026 एवं जिलाधिकारी हापुड को पत्र संख्या प्रोजेक्ट वर्क सर्किल–ड्रेन / 2024 / 78 दिनांक 18.06.2024 व प्रोजेक्ट / वर्क सर्किल–सीवर / 2026 / 5357 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से उनके क्षेत्र में उत्सर्जित दूषित जल के शोधन उपरान्त ही शोधित जल को मानको के अनुरूप ही डासना नाले में प्रवाहित किये जाने हेतु उपरोक्त पत्रों के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट न0-1 सैक्टर नोलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

दिनांक 13/02/2026

पत्रांक:-प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-ड्रेन/2026/204

सेवा में,

श्री विनय कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 859/2022 (I.A. Nos 445/2024, 632/2023 & 769/2023) Abhisht Kusum Gupta Vs State of Uttar Pradesh & Ors. With O.A. 512/2024 News Item titled "Irrigation Deptt. files case against Noida Villagers for dumping waste in Hindon" appearing in The Hindustan Times dated 12.03.2024 में पारित मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वयंकीय पत्र संख्या एन0जी0टी0 84(1)/81-7-2025-1687377 दिनांक 29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 859/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0 प्र0 शासन (Email:- envsection7@gmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ (Email:- ms@uppcb.in) को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सबंधं मे पूर्व मे इस कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या प्रो/वर्क सर्किल-ड्रेन/2026/202 दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से शासन को आख्या प्रेषित की गई थी। उक्त आख्या मे कुछ आवश्यक बिन्दु सम्मिलित होने से छूट गए थे।

अतः उपरोक्त के कम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश की ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण से सम्बन्धित संशोधित अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर पत्र के साथ सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: संशोधित आख्या।

(मनोज कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-ड्रेन

प्रतिलिपिः-

- स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के./एल/पी) महोदय/महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
- विशेष कार्याधिकारी (ए.पी.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक-परियोजना महोदय को सादर सूचनार्थ।

वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-ड्रेन

Scanned with OKEN Scanner

Sr. No.	District / Town (1)	Sewage and Sullage flowing in open drains (Storm water drains / concretised drains / unlined/ katcha drains) (No. of drains) (2)	Flow in each drain (MLD) (3)	Quality / Characteristics of effluent (4)	Quantity of industrial effluent discharged in drain (MLD) (5)	Final point of discharge of drain (6)	Whether storm water drain is diverted to STP? (7)	Time bound action plan to prevent sewage discharge into drain (8)	Tentative time completion period (in months)
1	Gr. Noida	Hawaliya Drain		----		Hindon	No	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हवालिया ड्रेन एक प्राकृतिक ड्रेन है जिसकी लम्बाई लगभग 14 कि0मी0 है, इस ड्रेन में गाजियाबाद तथा UPSIDA की सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रेटर नौएडा के आवासीय क्षेत्र की बरसाती नालियों का पानी आता है हवालिया ड्रेन के किनारे ग्रेटर नौएडा के सभी आवासीय सैक्टरो का पानी 137 **MLD STP** के माध्यम से निकलता है। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा उक्त हवालिया ड्रेन में गिरने वाले दूषित जल के शोधन हेतु वर्क सर्किल–सीवर के द्वारा Design, Retrofitting, Cleaning, Rejuvenation, On-Drain Wastewater Treatment and Landscaping का कार्य करने हेतु सक्षम एजेन्सी के चयन की प्रकिया हेतु सूचना संख्या प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–सीवर /2026/ 5393 दिनांक 09.02.2026 के माध्यम से EXPRESSION OF INTEREST (EOI) आमन्त्रित की जा चुकी है।	12 माह
2		Dasna Drain near Yusufpur Village		----		Hindon	No	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डासना ड्रेन प्राकृतिक ड्रेन है, जिसकी लम्बाई लगभग 25 किलो मीटर है, जिसका लगभग 8 किलो मीटर भाग ग्रेटर	12 माह

								नौएडा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त नाले में 96 प्रतिशत अशुद्धिकृत जल गाजियाबाद तथा हापुड़ परिक्षेत्र के औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से निकलता है। गाजियाबाद द्वारा उक्त उत्प्रवाह के शोधन हेतु निविदा भी की गई है। अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र मे डासना नाले के समीप गौर सिटी क्षेत्र इत्यादि अधिकांश बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग इकाइयां निर्मित है, जिनमे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन.ओ.सी प्राप्त कर एस.टी.पी स्थापित किये गये है। इनके माध्यम से शोधित जल का रियूज फ्लैसिंग तथा हार्टिकल्चर कार्यो मे किया जाता है। शेष शोधित जल को नाले मे प्रवाहित किया जाता है। ग्रूप हाउसिंग सोसाइटी द्वारा सीवेज का शोधन मानको के अनुरूप न करने पर समय समय पर ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा वैस्ट मे 45 एम.एल.डी. क्षमता के एस. टी.पी. का निर्माण भी कार्य प्रगतिरत है। एस.टी.पी.. निर्माण उपरान्त विभिन्न ड्रेन्स के **Diversion** की कार्यवाही की जायेगी।	
3		Kot escape Drain		---		Hindon	No	अवगत कराना है कि उक्त ड्रेन Upper ganga canal की escape drain है। कैनाल में पानी की आवश्यकता न होने पर अथवा किसानो द्वारा सिचाई की आवश्यकता होने पर उक्त **kot escape drain** में पानी छोडा जाता है। उक्त ड्रेन में मिलने वाले ज्यू-3 आवासीय सेक्टर की ड्रेन के पानी को Phyto-remedation पद्धति से शोधन करने हेतु आगणन स्वीकृति की प्रकिया में है।	9 माह